कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश,भोपाल.

क्रमांकGPR/पेपर/10/6/0001/2024/ 180 भोपाल, दिनांक 29/01/24

ई-निविदा सूचना

लोकसभा निवार्चन 2024 के EVM मतपत्र मुद्रण हेतु सुपिरियर क्वालिटी मैपलिथों पेपर 80 GSM के क्रय हेतु परिवहन, पैकिंग, लैब परीक्षण की व्यय राशि एवं समस्त कर सहित सुपिरियर क्वालिटी मैपलिथों पेपर 80 GSM पेपर विक्रेता/ पेपर निर्माता मिल/ अधिकृत डीलर/ BIS लायसेंस धारक से MPSEDC विभाग की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से ऑनलाईन की-डेट्स अनुसार दिनांक 14-02-2024 तक दरें आमंत्रित की जाती है।

2. ऑनलाईन निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तो पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. सूचना, तकनीकी विविरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन हेतु रखा गया है।

4.किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

Key Dates and Time

Bid closing & last date & time for submission on online Bids	14-02-2024 upto 11.00 pm
Last Date & time for submission of Hard Copy of technical Bids and	14-02-2024 upto 1.00 pm
Online Opening of the Technical Bid	15-02-2024 upto 2.00 pm

तकनीकी विवरण एवं शर्ते

SN	Specificatin	packing	Quantity	Delivery
1	Maplitho *Super Quality* Paper 80 GSM As Per IS 1848 : (Part-1) SIZE 29.7 X 46.5 CM Sheet	500 Sheet	900 Reem	10 Days

1.1 निविदा प्रपत्र राशि रूपये 2,000=00 एवं प्रोसेसिंग फीस/सर्विस टैक्स का भुगतान ऑनलाईन किया जाकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

1.2 EMD राशि रूपये 25,000.00 ऑनलाईन भुगतान MPSEDC विभाग के पोर्टल से कराना होगा।

निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्यत: ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा:-

1.3 फर्म का स्थापना पंजीयन।

1.4 फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन।

1.5 शासकीय कार्य के अनुभव रूपरूप तीन प्रदाय आदेश।

1.6 निविदा की शर्तों स्वीकार की सहमति स्वरूप पदमुद्रा अंकित हस्ताक्षर।

1.7 फर्म के लेटर हेड पर इस आशय का शपथ पत्र कि निर्धारित अवधि में सुपिरियर क्वालिटी मैपलिथों पेपर 80 GSM पेपर प्रदाय नही करने पर निविदा शर्त अनुसार कार्यवाही हेतु शर्ते फर्म को स्वीकार है।

2- पेपर के 20 सेम्पल ए/3 आकार में निविदाकार की पदमुद्रा, जीएसएम, सुपिरियर क्वालिटी मैपलिथों पेपर 80 GSM पेपर निर्माता मिल का नाम एवं हस्ताक्षर सहित (हार्डकापी) एवं अन्य वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

3- पेपर का उपयोग डिजिटल मशीनों पर ईव्हीएम मतपत्रों के मुद्रण हेतु किया ज़ाना है। अत: 20 सेम्पल ए/3 आकार के निविदा खुलने के पूर्व प्रस्तुत करें ताकि डिजिटल मशीनों रन कर कार्योपयोगिता की जॉच की जा सकें। यदि डिजिटल मशीन पर रन करने मे पेपर उपयुक्त नही पाया जाता तो तकनीकी भाग में अपात्र माना जावेगा।

4- पैंकिंग As Per IS 6211:1993 के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है।

5- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में निविदाकार फर्म की पदमुदा एवं हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है।

6- शासकीय लैब से पेपर की गुणवत्ता जॉच प्री- डिस्पेच निरीक्षण कराने उपरांत प्रदाय करना होगा।

7- एल-1 निविदाकार को अनुबंध निष्पादित कर कुल व्यय राशि की 5% सुरक्षा निधि का FDR राष्ट्रीयकृत बैंक से नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल के पक्ष में 12 माह की अवधि का तैयार कर जमा कराना होगा।

एल-1 निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किये जाने के 10 दिवस (दस दिवस) के अंदर संपूर्ण पेपर का प्रदाय कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड़, भोपाल (म०प्र०) 462 011 में किया जाना अनिवार्य है। **कृपया संपूर्ण पेपर 10 दिवस में प्रदाय करने की क्षमता रखने वाले निविदाकार ही भाग लें।** यदि चयनित निविदाकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा जमा EMD राशि राजसात करते हुये शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी के अंतर्गत ब्लैक लिस्टेड करते हुये कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

10- दर की वैदयता दिनांक 31-4-2024 तक प्रभावशाली रहेगी। निविदा की कुल मात्रा में 25% कमी/वृद्धि की जा सकती है।

11- सामग्री प्रदायगी में विलम्ब की स्थित में 1% प्रति सप्ताह के मान से शास्ति अधिरोपित जावेगी।

12- शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबंधों या अपरिहार्य परिस्थिति आने के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है, तो लम्बित भुगतान पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

13- यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल का होगा।

14- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधाना के अन्तर्गत प्रकरण प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनके निर्णय को दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा। आर्बट्रिशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.